निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 38 / 2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

GCMS No - 2024/146

आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड जयपुर ....प्रार्थी

1. श्री शम्भू पुत्र श्री छीतर गुर्जर निवासी ग्राम पंचायत तलावडा प.स. खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. श्री सम्पत पुत्र श्री शम्भू निवासी ग्राम पंचायत तलावडा प.स. खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. श्री राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री शम्भू निवासी ग्राम पंचायत तलावडा प.स. खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. श्री मीठा लाल गुर्जर पुत्र श्री बृज मोहन गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला खण्डार

.........अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.03.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री शम्भू पुत्र श्री छीतर गुर्जर निवासी ग्राम पंचायत तलावडा प.स. खण्डार जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा संख्या 46 ग्राम पंचायत तलावडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसकी चर्तुसीमाऐ उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में शंकर गुर्जर का खेत, पूर्व में 3 फीट गली छोडकर बद्री का मकान व पश्चिम में कंचन पत्नी रतना का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 177.77 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 4,20,000 (चार लाख बारह हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 09.08.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 07.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 09.08.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 46 ग्राम पंचायत तलावडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसकी चर्तुसीमाऐ उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में शंकर गुर्जर का खेत, पूर्व में 3 फीट गली छोडकर बद्री का मकान व पश्चिम में कंचन पत्नी रतना का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 177.77 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 13-11-2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:32 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner